

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (पेंशन) अनुभाग-10
संख्या: 396999/XXVII(10)/E-22807/2022
देहरादून: दिनांक: 18 मई, 2026

Government of Uttarakhand
Finance (Pension) Section-10
No-396999/XXVII(10)/E-22807/2022
Dehradun: Dated 18th May, 2026

कार्यालय ज्ञाप

Office Memorandum

विषय- महंगाई राहत की दरों में संशोधन
(01.01.2026 से प्रभावी)

Subject- Revision in the Rates
of Dearness Relief (effective
from 01.01.2026)

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन 7वां वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-339242/XXVII(10)/E-22807/2022, दिनांक 27.10.2025 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमित करते हुए दिनांक 01.01.2026 से 58% प्रतिशत के स्थान पर 60% प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

The undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the rate of Dearness Relief from 58% to 60 % with effect from 01.01.2026, superseding the earlier rates sanctioned vide this O.M. No. 339242/XXVII(10)/E-22807/ 2022, Dated 27.10.2025, for those pensioners whose pension has been revised in accordance with the recommendations of the 7th pay Commission.

2. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/ पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

2. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective department.

3. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

5. मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

Digitally signed by
Vadivel Shanmugam
Date: 18-05-2026
17:43:50 (Dr. V. Shanmugam)
सचिव

3. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/ Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.

4. As per orders issued in O.M. No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

5. Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

(Dr. V. Shanmugam)
Secretary

संख्या-396999 / XXVII(10)/E-22807/2022
तददिनांकित।

No.396999 / XXVII(10)/E-22807/2022,
dated as above.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

Copy forwarded to the following for information and necessary action.

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

1- Secretary to Governor, Uttarakhand.

2. समस्त प्रमुख सचिव/विशेष प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2-All Principal Secretaries/Special Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.

3. सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो/शहरी विकास

3-Secretary, Bureau of Public

विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि उपक्रम/निकाय की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपक्रम/निकाय के कार्मिकों को महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

Enterprises/Urban Development, Govt. of Uttarakhand with the request that the admissibility of Dearness Relief may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/undertaking and there is no need of finance Department Consent.

4. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड। 4- All Commissioner/ District Magistrate, Uttarakhand.
5. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड। 5- All Heads of Departments & Head of Offices, Uttarakhand.
6. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारियों को इसकी प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। 6-Accountant General Uttarakhand (A&E), Uttarakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून। 7- Director, Treasury, Pension and Entitlement, Uttarakhand, Dehradun.
8. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून। 8- Director, Departmental Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun.
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड। 9- All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand.
10. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 50 प्रतियाँ मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग-10, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। 10- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 50 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-10, Govt. of Uttarakhand Please.

आज्ञा से

Digitally signed by
Khajan Chandra Pandey
Date: 18-05-2026 17:45:01
(खजान चन्द्र पाण्डे)
अपर सचिव

By Order,

(Khajan Chandra Pandey)
Additional Secretary